न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरुआ बनाम उध्यमसिंह वगैरह

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

निर्णय दिनांक :- 31-12-18

प्रकरण संख्या :- 69/2018/RA

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेड़ली तर्फ रेला की आ.ख.न. 161 कुल रकबा 0-19 किस्म जमीन गै.मु.श्मशान में से 0-01 0-19 रकबे पर श्री उध्यमसिंह नवलसिंह पि.किरोडी पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरुआ द्वारा दिनांक चूडा/लकडी 27/8/18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ट्राईस भू.अ.निरी. पारौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी उध्यमसिंह नवलसिंह जाति जाट निवासी खेड़ली तर्फ रेला को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 वगैरह के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 161 रकबा 0-19 में से 0-01 0-19 रकबे किस्म गै.मु.श्मशान है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paise का 50 गुणा 3/- तीन रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरुआ भू.अ.निरी. पारौदा .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- पं. डा... ...क. पृष्ठ सं. 37 ... 2
वर्ष 2018-19 ... राशि रु. 3/-
की कायमी की गई

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील कठूमर